कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-26.07.2024

विषयः- थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मार-पीट के मुकदमों मे वांछित 06 अभियुक्तगण गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे, श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व में थाना चौबेपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक-26.07.2024 को मु0अ0सं0-468/2024 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2), 333, 109 बी0एन0एस0 थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त 1- राघवेन्द्र पाठक उर्फ दीपक पुत्र जितेन्द्र पाठक निवासी ग्राम नरायनपुर थाना चौबेपुर वाराणसी को समय करीब 11.00 बजे ग्राम नरायनपुर थाना चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया व 2- 01 नफ़र बाल अपचारी, उम्र 16 वर्ष को अभिरक्षा मे लिया गया तथा मु0अ0सं0-0469/2024 धारा 191(2), 115(2), 333, 110, 74, 76, 324(4) बी0एन0एस0 थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1- गौरी शंकर पाठक पुत्र गोपीनाथ पाठक, 2- सच्चिदानंद पाठक पुत्र जयशंकर पाठक, 3- नित्यानंद पाठक पुत्र जंयशंकर पाठक, 4-शिवम पाठक उर्फ आदित्य पाठक पुत्र दीनानाथ पाठक व 5- आकाश पाठक पुत्र गौरीशंकर समस्त निवासीगण ग्राम नरायनपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को समय करीब 11.10 बजे ग्राम नरायनपुर थाना चौबेपुर वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना चौबेपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

1- दिनांक-25.07.2024 को वादी मुकदमा श्री राहुल पाठक पुत्र स्व0 प्रभु नारायण पाठक निवासी ग्राम नरायनपुर थाना चौबेपुर जिला वाराणसी द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक-25/07/024 को समय करीब शाम 06.00 बजे प्रार्थी/वादी मुकदमा के ग्राम की इंटरलॉकिंग सड़क पर अवनीश पाठक पुत्र अनिल कुमार पाठक निवासी पता उपरोक्त अतिक्रमण करते हुये बाउंड्री बनवा रहे थे। मना करने पर प्रतिवादी अवनीश पाठक, रजनीश पाठक, आशीष पाठक, राघवेन्द्र पाठक, अनिल पाठक आदि समस्त निवासीगण पता उपरोक्त गंदी-गंदी गालियाँ देते हुए प्रार्थी को लाठी-डण्डे से मारने लगे। मौके पर प्रार्थी के बड़े पिता जयशंकर पाठक,आदित्य पाठक,सच्चिदानंद पाठक,व आकाश पाठक पहुंचे तो विपक्षीगण उन्हे भी गंदी-गंदी गालियाँ देते हुए लाठी-डण्डे से मार-पीट कर घायल कर दिये और विपक्षी राघवेन्द्र पाठक ने घटनास्थल पर कट्टे से दो बार फायरिंग भी किया। विपक्षीगण प्रार्थी को दौड़ाये तो प्रार्थी भागकर अपने घर में प्रवेश किया तब विपक्षीगण घर में घुसकर प्रार्थी को लाठी-डण्डे से मारे-पीटे तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये,

जिसके आधार पर थाना चौबेपुर में मु0अ0सं0-468/2024 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(2), 333, 109 बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 दुर्गेश मिश्रा द्वारा संपादित की जा रही है।

2- दिनांक-25.07.2024 को वादी मुकदमा श्री अवनीश पाठक पुत्र अनिल पाठक निवासी नरायनपुर थाना चौबेपुर जिला वाराणसी द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 25-07-2024 को प्रार्थी अपने जमीन की सुरक्षा हेतु घर के समीप वाउंड्री का निर्माण कर रहा था तभी समय शाम 6-7 बजे गाँव के ही जयशंकर पाठक, सच्चिदानंद पाठक, विवेकानन्द पाठक, नित्यानन्द पाठक, शिवम पाठक, दीनानाथ पाठक, आकाश पाठक, गौरी शंकर पाठक, अमित पाठक व राहुल पाठक एक राय होकर पूरी तैयारी के साथ लोहे का रॉड, हाकी, लाठी लेकर प्रार्थी की जमीन पर चढ़ आये और किये हुए निर्माण को गिरा दिये। हम प्रार्थी ने जब मौके पर निर्माण गिराते समय उनका विरोध किया तो सभी लोग प्रार्थी को मारने-पीटने लगे और बचाव में प्रार्थी के पीता अनिल पाठक मौके पर तत्काल पहुंचे तो विपक्षीगण ने उन्हे भी लाठी-डंडे व रॉड से बुरी तरह मारा और वे मौके पर ही बेहोश हो गये। प्रार्थी के भाई आशीष पाठक व राघवेन्द्र पाठक भी वहाँ पहुंचे तो उन्हे भी बूरी तरह से मारा पीटा और विपक्षीगण पुराने मकान के अंदर घुसकर सुनील पाठक, दीप्ती पाठक, ज्योती पाठक व बन्दना पाठक को भी बुरी तरह मारे व महिलाओं के साथ छेड़खानी भी किए तथा दीप्ती के साथ विपक्षी आकाश पाठक ने उसपर चढकर उसका कमीज फाड़ दिया व प्रार्थी के घर में सरकारी राशन के कोटे का कागजात व रजिस्टर को भी फाड़ दिये, जिसके आधार पर थाना चौबेपुर में मु0अ0सं0-0469/2024 धारा 191(2),115(2),333,110,74,76,324(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 दुर्गेश मिश्रा द्वारा संपादित की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण/बाल अपचारी का विवरण-</u>

1. राघवेन्द्र पाठक उर्फ दीपक पुत्र जितेन्द्र पाठक, उम्र करीब 22 वर्ष
2. गौरी शंकर पाठक पुत्र गोपीनाथ पाठक, उम्र करीब 58 वर्ष
3. सच्चिदानंद पाठक पुत्र जयशंकर पाठक, उम्र करीब 24 वर्ष
4. नित्यानंद पाठक पुत्र जंयशंकर पाठक, उम्र 23 वर्ष
5. शिवम पाठक उर्फ आदित्य पाठक पुत्र दीनानाथ पाठक, उम्र 19 वर्ष
6. आकाश पाठक पुत्र गौरीशंकर पाठक, उम्र 27 वर्ष
7. 01 नफ़र बाल अपचारी, उम्र 16 वर्ष

समस्त निवासीगण ग्राम- नरायनपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी।

<u>गिरफ्तारी दिनांक, समय व स्थान-</u> ग्राम नरायनपुर थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी से दिनांक-26.07.2024 को समय करीब 11.00 व 11.10 बजे।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1.मु0अ0सं0-468/2024 धारा 191(2),115(2),352,351(2),333,109 बी0एन0एस0 थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी।

2.मु0अ0सं0-0469/2024 धारा 191(2),115(2),333,110,74,76,324(4) बी0एन0एस0 थाना चौबेपुर कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 विद्याशंकर शुक्ल थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 दुर्गेश मिश्रा थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
3. उ0नि0 अवधेश सिह थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
4. हे0का0 बृजेश पाण्डेय थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।
5. हे0का0 कृष्णानन्द पाण्डेय थाना चौबेपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी